

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 172/2026

राजेश कुमार कश्यप

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर नियोजन, उ.प्र. लखनऊ

एवं 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – व्यक्तिगत रूप से

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा, शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. श्री सौरभ यादव, अधिवक्ता द्वारा आज विरोधी पक्षकार संख्या 3 (एल.डी.ए.) की ओर से दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
3. नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नगर निगम ने सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया, परन्तु स्थानीय निवासियों के प्रतिरोध के कारण वह असफल रहा क्योंकि पुलिस कर्मियों द्वारा सहायता नहीं प्रदान की गई थी।
4. नगर निगम के संबंधित अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त से पर्याप्त पुलिस सहायता प्रदान करने का अनुरोध करें और फिर स्थिति का आकलन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करें, जब तक कि किसी न्यायालय के स्थगन आदेश आदि के रूप में कोई विधिक बाधा न हो। यदि एक माह में कुछ नहीं होता है, तो याची हेतु पुनः इस न्यायालय में आने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यदि ऐसा कोई अनुरोध किया जाता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, तो पुलिस उपायुक्त विधि द्वारा अपेक्षित ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त पुलिस सहायता प्रदान करेंगे।

5. तदनुसार, याचिका निस्तारित की जाती है।

26 फरवरी, 2026

अनुज सिंह

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

Translated version. Not for legal use.